संख्याः 08/2026/1689/छप्पन-2025-12/2013टी.सी.-1

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 08 जनवरी, 2026

विषयः जनपद गोरखपुर के नये एयरपोर्ट के टर्मिनल के निर्माण हेतु वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर के अन्तर्गत एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर में नये एम0ई0एस0 ऑफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्यत्र शिफ्टिंग किए जाने के फलस्वरूप एम0ई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य (ई0पी0सी0 मोड) हेतु तृतीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 315/आर0सी0एस0-2025-जी-1/2019 दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या-469/पी0ए0/नि0ख0(भवन)गो0 दिनांक 05.12.2025 के क्रम में जनपद गोरखपुर के नये एयरपोर्ट के टर्मिनल के निर्माण हेतु वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर के अन्तर्गत एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर में नये एम0ई0एस0 ऑफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के शिफ्टिंग कार्य हेतु स्वीकृत लागत रू0 10351.69 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि रू0 2587.9225 लाख (रूपए पच्चीस करोड़ सत्तासी लाख बानवे हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन हेतु कार्यदायी संस्था के भुगतान के निमित्त स्वीकृत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-116/2023/1716/छप्पन-2023-12/2013टी0सी0-1 दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 द्वारा गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पर नए सिविल इन्क्लेव/टर्मिनल के विकास/निर्माण के अन्तर्गत गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन के एम0ई0एस0 ऑफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित लागत रू0 10351.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त स्वीकृत लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि अर्थात् रू0 2587.9225 लाख की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन पर रखे जाने के आदेश निर्गत किए गए है एवं शासनादेश संख्या-23/2025/215/छप्पन-2025-12/2013टी0सी0-1 दिनांक 21 फरवरी, 2025 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में 35 प्रतिशत धनराशि रू0 3623.0915 लाख (रूपए छत्तीस करोड़ तेइस लाख नौ हजार एक सौ पचास मात्र) का धनावंटन जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन पर कार्यदायी संस्था के भुगतान के निमित्त रखे जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर के नये एयरपोर्ट के टर्मिनल के निर्माण हेतु वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर के अन्तर्गत एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर में नये एम0ई0एस0 ऑफिस काम्पलेक्स एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के शिफ्टिंग कार्य हेतु शासनादेश संख्या-116/2023/1716/छप्पन-2023-12/2013 टी0सी0-1 दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 द्वारा प्रदान की गई प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लागत रू0 10351.69 लाख (रूपए एक अरब तीन करोड़ इक्यावन लाख उनहत्तर हजार मात्र) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु तृतीय किश्त के रूप में कुल लागत के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि रू0 2587.9225 लाख (रूपए पच्चीस करोड़ सत्तासी लाख बानवे हजार दो सौ पचास मात्र) का धनावंटन जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन पर कार्यदायी संस्था के भुगतान के निमित्त रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) आवंटित की जा रही धनराशि में से, प्रश्नगत परियोजना में निहित स्वीकृत कार्यों की लागत के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि व्यय की जाएगी।

(2) शासनादेश संख्या-116/2023/1716/छप्पन-2023-12/2013 टी0सी0-1 दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 के सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2587.9225 लाख (रूपए पच्चीस करोड़ सत्तासी लाख बानवे हजार दो सौ पचास मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गोरखपुर के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर कार्यदायी संस्था को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

6- उक्त व्यय को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जाएगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

<u>संख्या-08/2026/1689(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5- एयर ऑफिसर कमाण्डिंग, वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- मुख्य अभियन्ता (तकनीकी सेल), ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in